

जिलाधिकारी कार्यालय के पत्र संख्या : 203 / जि.पंच.24-पविस्वी / 2024-25 दिनांक : 27 जुलाई, 2024 (छाया प्रति संतान्) के क्रम में जिला योजना समिति द्वारा वर्ष 2024-25 में सी.सी. मार्ग एवं बटिया निर्माण मद के अंतर्गत अनुमोदित परिचय से प्रथम क्रियत की धनराशि वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति सहित अर्जित हुई है। क्षेत्र पंचायत / विकास खण्ड/मुन्यारी को जिन कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था बनाया गया है उन कार्यों हेतु तालिका के कॉलम 10 को सापेक्ष कॉलम 14 की धनराशि विकास खण्ड कार्यालय द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये हैं। कार्यों में अंतर की सी.सी. मार्ग द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं। जिला योजना की अवशेष धनराशि आवंटन प्राप्त होने के पश्चात् कार्यदायी संस्था द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र/अन्य वांछित अभिलेख उत्पन्न करने के बाद प्रस्तावित करने की कार्यवाही की जा चुकी है। जिला योजना की अवशेष धनराशि आवंटन प्राप्त होने के पश्चात् कार्यदायी संस्था द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र/अन्य वांछित अभिलेख उत्पन्न करने के बाद प्रस्तावित करने की कार्यवाही की जायेगी।

की जायेगी।																
S N	योजनाओं का नाम	विषय	कार्य संख्या	कार्य स्वीकृति का वर्ष	कार्य की तालिका (तायार में)	कार्य हेतु अनुमोदित धनराशि										अवशेष धनराशि (रु. में)
						समान्य (001)	एस.सी. एस.पी. (030)	डी.एस.पी. (031)	गंगा (032)	समान्य एस.सी. एस.पी. (033)	डी.एस.पी. (034)	गंगा (035)	अवशेष धनराशि (रु. में)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1		MUN	VK	24-25	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	2.50	2.50	1.00	
1	मल्ला समकोट में सड़क सी.सी.मार्ग	MUN	VK	24-25	3.50	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	2.50	2.50	1.00		
2	ग्रा.प. डिमोडिया में सड़क सी.सी.मार्ग(टी.एस.पी.)	MUN	VK	24-25	3.50	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	2.50	2.50	1.00		
3	अ.ज.जा.बस्ती रिंग में सड़क सी.सी.मार्ग(टी.एस.पी.)	MUN	VK	24-25	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00		
4	ग्रा.प.खसियावाला में सड़क सी.सी.मार्ग(एस.सी.पी.)	MUN	VK	24-25	13.00	3.00	3.00	7.00	13.00	2.00	2.00	5.00	9.00	4.00		
योग																

जिला योजना वर्ष 2024-25 में अनुमोदित उक्त कार्यों के संपादन हेतु खण्ड विकास अधिकारी-मुन्यारी द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणनों के अनुसार अनुमोदित कार्यों हेतु मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के आदेश सं. 624 दि. : 24.03.2008 व सचिव,रा.पंच.आ. नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन के अ.शा.पत्र संख्या : 501 दि. : 08 अप्रैल, 2024 एवं अपर सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या : 2188601 दिनांक : 20 जून, 2024 में निहित प्रावधानों के अनुसार निम्न शर्तों व प्रतिबंधों के अनुसार व्यय की जायेगी।

- 1-उक्त धनराशि का व्यय जिला योजना समिति द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु स्वीकृत कार्यों पर ही किया जाये। व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अंतर्गत किया जाये, जिनके लिये यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि का अन्यत्र विचलन की दशा में खण्ड विकास अधिकारी-मुन्यारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 2-उक्त व्यय में वजह मनुअल वित्तीय हस्त पुस्तिका टेण्डर/कोटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा नित्यव्ययता के विषय में समय-समय पर जारी आदेशों का पालन किया जाये।
- 3-स्वीकृत धनराशि के अंतर्गत ही व्यय किया जायेगा, व्ययविषय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
- 4-जिन कार्यों का प्रावधान स्वीकृत विस्तृत आगणन में नहीं है उन कार्यों पर न तो कोई व्यय किया जाये और न ही कोई वित्तीय वायदा किया जाये।
- 5-उक्त धनराशि का व्यय मानकों के आधार पर ही किया जायेगा तथा योजनाओं की वित्तीय व भौतिक प्रगति का विवरण शासन को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता हेतु कार्यदायी संस्था के अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 6-प्रचलित कार्यों के विस्तृत आगणन पर सक्षम अधिकारी से प्राथमिक स्वीकृति निर्गत करने के उपरान्त कार्य प्रारंभ किये जायेंगे एवं तत्पश्चात् ही उन कार्यों पर व्यय किया जायेगा।
- 7-इस संवत् में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में किसी प्रकार का अनाधिकृत व्यय न किया जाये। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाये।
- 8-उक्त धनराशि का व्यय जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों हेतु अनुमोदित लागत सीमा में निश्चित/आवृत्ति परिसर के अंतर्गत ही किया जाये।
- 9-जिला योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को प्रारंभ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् फोटोग्राफ्स भविष्य में अवलोकन हेतु सुरक्षित रखे जायें तथा उनकी एक प्रति अखंडतापूर्वक को भी उपलब्ध कराई जाये तथा नियमानुसार भुगतान किया जाये तथा सभी अभिलेख खण्ड विकास अधिकारी-मुन्यारी के कार्यालय में सुरक्षित रखे जायें।
- 10-उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे.आ.-सानि.) अनुभाग-7 के पत्र संख्या : 129/XXVIA/732/2007 दिनांक : 14 जुलाई, 2017 द्वारा जारी उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति(प्रॉक्चुरमेंट)नियमावली 2017 का अनुपालन करते हुए आदेश संख्या : 475/XXVIA/1(1)2008 दिनांक : 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण एजेंसी से एम.ओ.यू. अवश्य किया जाये।
- 11- जिला योजना एक वार्षिक योजना है अतः किसी भी दशा में वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत में अवशेष धनराशि को बुक ट्रांसफर के माध्यम से सुसंगत प्राप्त लेखा शीर्षक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ ही संबंधित विभाग द्वारा वार्षिक व्यय को पृथक-पृथक राजस्व-पूजीगत मदों के अन्तर वर्गीकृत किया जायेगा।

PTO

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन
गिरौरगांव